न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्याः—181/2024

1. कमला देवी पत्नी मदनलाल, उम्र 60 वर्ष,
2. मदनलाल पत्रु पन्नालाल, उम्र 63 वर्ष, निवासीगण भौड़की रोड़, टोडी, पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं।

——अपीलान्ट्स

बनाम

श्रीमती सुदेश पत्नी मनोज कुमार डूडी पुत्री स्व0 वीरसिंह, उम्र 32 वर्ष, निवासी भौड़की हाल निवासी भौड़की रोड़, गोयनका जनरल स्टोर के सामने, टोडी, पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं।

——रेस्पोडेन्ट

———

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के विरुद्ध निर्णय दिनांक 30.09.2024 मुकदमा उनवानी कमला देवी वगैरह बनाम श्रीमती सुदेश मु0नं0 4/2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय (पीठासीन भरण पोषण अधिकरण) झुंझुनूं।

———

उपस्थितः— प्रार्थीगण एवं अप्रार्थिया स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांक 27.08.2025

उक्त विषयक अपील विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट झुंझुनूं के आदेश दिनांक 30.09.2024 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट ने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 5 व 21 अधिनियम 2007 का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आवेदिका सेवारत तथा आवेदक सेवानिवृत अध्यापक है। आवेदकगण ने अपने पुश्तैनी मकान जो ग्राम भौड़की में स्थित है, उनको छोड़कर आवेदक ने अपनी स्वयं की अर्जित आय से ग्राम टोडी में भूखण्ड खरीदकर स्वयं की आय से मकान निर्मित कर रखा है तथा जिससे आवेदकगण दिनांक 15.01.2021 तक सुखपूर्वक निवास कर रहे थे। आवेदकगण के दो पुत्र है। आवेदकगण के बड़े पुत्र मनोज का प्रेम विवाह वर्ष 2010 में सुदेश के साथ हुआ था। मनोज व सुदेश विवाह के पश्चात् वर्ष 2018 तक चिड़ावा में रहे ततपश्चात् आवेदिका वर्ष 2018 से 2021 तक जयपुर रही तथा अध्यापन के साथ—साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती रही। आवेदकगण का पुत्र मनोज दिनांक 01.06.2018 से जिला राजसमन्द में रहा है। सुदेश दिनांक 15.01.2021 को आवेदकगण के घर पर रहने आई तथा 10—15 दिन पश्चात् ही लड़ाई झगड़ा करने लगी तथा ऐलानिया धमकी देने लगी कि वह जहर खा लेगी तथा आवेकदगण व उसके पुत्रों, पुत्रवधू को झूठे मुदकमें में फंसाकर जेल भिजवा देगी। इस पर आवेदकगण ने पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी में शिकायत दर्ज करवाई जिसमें कार्यवाही करते हुए सुदेश के विरूद्व अन्तर्गत धारा 107, 116(3) सी0आर0पी0सी0 में कूननी कार्यवाही कर पाबन्द फरमाया गया। सुदेश ने आवेदक नं0 2 मदनलाल की वृद्ध माता सरस्वती देवी के साथ मारपीट की जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 196/2021 पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी में दर्ज करवाई गई जिसमें अनुसंधान में सुदेश को दोषी मानकर उसके विरूद्ध चार्जशीट पेश की गई जो प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट उदयपुरवाटी में विचारधीन हैं सुदेश ने दिनांक 25.02.2021 को आवेदकगण व उसके दोनों पुत्रों व छोटी पुत्रवधू के विरुद्ध दहेज व छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया जिसमें बाद अनुसंधान पुलिस ने आवेदकगण उसके छोटे पुत्र व छोटी पुत्रवधू को निर्दोष माना है। सुदेश ने आवेदकगण की स्वअर्जित भूमि के बाबत् राजस्व न्यायालय में

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

एक दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर रखा है जो विचाराधीन है। सुदेश द्वारा अपने पति मनोज कुमार के विरुद्ध भरण पोषण व रहवास हेतु मुकदमा कर रखा है जिसमें न्यायालय ने 15,000/- रुपये प्रतिमाह दिये जाने का आदेश पारित किया है। जिसकी पालना में मनोज कुमार द्वारा प्रतिमाह सुदेश को भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार सुदेश को रहवास का अनुतोष प्राप्त होने के बावजूद भी जबरदस्ती आवेदकगण के स्वअर्जित निजी आवास में रहकर आवेदकगण को तंग परेशान कर रही है तथा आवेदकगण के गरिमापूर्ण व सुखमय जीवन-यापन में दखलंदाजी कर रही है जिसका उसको कोई अधिकार नहीं है। आवेदकगण के दोनों पुत्र विवाह के बाद से ही अनावेकदगण के साथ नहीं रहे हैं तथा ना ही वर्तमान में साथ रह रहे हैं। सुदेश जनवरी 2021 से आवेदकगण के ग्राम टोडी में स्थित मकानों में जबरदस्ती रहकर आवेदकगण को बुरी तरह तंग व परेशान कर रही है तथा उनका जीवन हराम कर रखा है। आवेदकगण द्वारा दोनों पुत्रों को ग्राम भौड़की में स्थित पुश्तैनी मकान बंटवारे में दे रखे हैं। आवेदकगण ने अपनी आय से अपनी वृद्धावस्था में सुखपूर्व व गरिमामय जीवन जीने के लिए मकान बनाये थे तथा वहां पर रहकर अपना शेष जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत करना चाहते हैं परन्तु सुदेश आवेदकगण को शान्तिपूर्वक रहने नहीं दे रही है। सुदेश ने आवेदकगण को शारीरिक, आर्थिक व मानसिक रूप से अनुचित रूप से अत्यधिक प्रताड़ित कर रखा है। अतः आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि अनावेदिका सुदेश के विरुद्ध कार्यवाही कर अनावेदिका को आदेश दिया जावे कि वह आवेदकगण के स्वअर्जित निवास व मकान ग्राम टोडी को खाली कर आवेदकगण को सौंप दे तथा भविष्य में भी जबरदस्ती प्रवेश कर आवेदकगण के निज निवास टोडी में अनुचित रूप से दखलंदाजी कर किसी भी प्रकार से गैरकानूनी कृत्य ना करे। आवेदकगण के जीवन की सुरक्षा के लिए पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी को भी समुचित कार्यवाही करने का आदेश दिया जावे। इस प्रकार अनावेदिका को नोटिस जारी किये गये। अनावेदिका सुदेश ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया। अनावेदिका ने आवेदकगण के आवेदन पत्र को अस्वीकार कर किया तथा तथ्य गलत दर्ज होना अंकित किया परन्तु अनावेदिका ने आवेदकगण द्वारा आवेदन पत्र में अंकित प्रकरणों का विचाराधीन होना स्वीकार किया। अनावेदिका ने कथन किया कि उनके नुत्फे से एक पुत्री संतान है जिसकी उम्र 11 वर्ष है जो अनावेदिका के साथ निवासरत है अनावेदिका ने कथन किया है कि ग्राम टोडी का आवास कुटुम्ब विभाजन में उसके हिस्से में आया हुआ है आवेदकगण के बिना किसी प्रावधानों के आवेदन पत्र पेश किया है। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बहस सुनी गई तथा दिनांक 30.09.2024 को निर्णय पारित कर आवेदकगण का आवेदन पत्र खारिज फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.09.2024 से व्यथित होकर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारों पर पेश है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर गौर न कर मनमर्जी से सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य का अवसर ही नहीं दिया। सीधे बहस सुनकर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश किसी भी प्रकार से स्पीकिंग ऑर्डर की तारीफ में नहीं आता है। आवेदकगण द्वारा पत्रावली में पेश किसी भी दस्तावेजात पर गौर नहीं किया तथा ना ही उनको पढ़ा गया है जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई भी दस्तावेजात पेश नहीं किए गये हैं तथा ना ही आवेदकगण द्वारा पेश दस्तावेजात का खण्डन ही किया गया है फिर भी अधीनस्थ अदालत ने विधि विरुद्ध तरीके से सरसरी तौर पर ही आवेदकगण का आवेदन पत्र खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदगण द्वारा पेश दस्तावेजात का किसी भी प्रकार से विवेचन नहीं किया है तथा ना ही अपने आदेश में उनका उल्लेख ही किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को प्रथम दृष्टया देखने मात्र से ही स्पष्ट होता है कि बिना पत्रावली का अवलोकन किए ही पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के मूलभूत व स्थापित प्रावधानों को अनदेखा कर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। कानून का स्थापित सिद्धान्त है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वअर्जित सम्पति का अपने जीवनकाल में स्वतन्त्र स्वामी होता है तथा अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग कर सकता है किसी भी अन्य व्यक्ति का उसमें दखलंदाजी करने का कोई भी विधिक अधिकार नहीं है। अदालत मातहत ने उक्त सुस्थापित कानूनी प्रावधान पर गौर न कर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने अपने दस्तावेजात से स्वअर्जित सम्पति का होना पूर्णतः साबित किया है तथा रेस्पोडेन्ट की ओर से भी इस तथ्य का कोई खण्डन नहीं किया गया है फिर भी अदालत मातहत ने बिना किसी विवेचना के अपीलान्ट के तथ्यों को अस्वीकार कर निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत ने प्रकरण को अपने

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

क्षेत्राधिकार में नहीं होना व सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होना अंकित किया हैं महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्ट ने भी क्षेत्राधिकार की कोई आपत्ति नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में किसी भी कानूनी प्रावधान या किसी कानूनी नजीर का हवाला भी नहीं दिया है जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि स्वअर्जित सम्पत्ति से किसी अन्य व्यक्ति को 2007 के इस अधिनियम के द्वारा बेदखल किया जा सकता है तथा क्षेत्राधिकार बनता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक प्रावधानों की कोई भी विवेचना नहीं की तथा मनमर्जी से क्षेत्राधिकार से बाहर होना अंकित किया है। विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि ''तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है।'' अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझकर कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने ग्राम भौड़की में स्थित अपने पैत्रक आवास में अपने दोनों पुत्रों को उनका हिस्सा दे रखा है। रेस्पोडेन्ट का हक अधिकार पैतृक आवास तक ही सीमित है। रेस्पोडेन्ट कानूनन भी अपने पति के हिस्से में से ही हिस्सा लेने की हकदार है। रेस्पोडेन्ट का अपने पति से विवाद चल रहा है जिसके मुकदमें भी विचारधीन है परन्तु उक्त प्रकरणों से अपीलान्ट का कोई भी सम्बन्ध नहीं है तथा उन मुकदमों की आड़ में अपीलान्ट को तंग व परेशान नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट सेवानिवृत कर्मचारी है तथा अपनी वृद्धावस्था में शान्ति पूर्वक अपना जीवन यापन करने का संवैधानिक अधिकार है जिसमें रेस्पोडेन्ट अनुचित रूप से व्यवधान उत्पन्न कर रही है। अदालत मातहत ने निर्णय से पूर्व न्यायिक विवेक का प्रयोग नही किया तथा प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध जाकर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने अपने पैतृक आवास ग्राम भौड़की की सम्पति अपने पुत्रों को दे दी है तथा स्वअर्जित सम्पति पर रेस्पोडेन्ट ने जबरन कब्जा कर रखा है। अपीलान्ट का जीवन जीना भी दूभर हो गया है परन्तु योग्य अदालत मातहत ने उक्त तथ्य पर गौर न कर भारी भूल की है। रेस्पोडेन्ट ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि उसे सिविल न्यायालय के आदेश की पालना में रहवास व भरण पोषण की राशि 15,000/—रुपये प्रतिमाह प्राप्त हो रही है फिर भी अदालत मातहत ने उक्त तथ्य पर गौर किये बगैर ही विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत का निर्णय विधि विरुद्ध है तथा किसी भी प्रकार से स्पीकिंग ऑर्डर की तारीफ में नहीं आता है। अदालत मातहत ने बिना पत्रावली का अवलोकन किये भावनात्मक तथ्यो के आधार पर निर्णय पारित किया है। कानून भावनाओं से नहीं बल्कि प्रावधानों व नियमों से संचालित होता है। अदालत मातहत ने कानूनी प्रावधानों को अनदेखा कर जो निर्णय पारित किया है व खारिज होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.09.2024 को खारिज फरमाया जावे तथा रेस्पोडेन्ट को आदेशित किया जावे कि वह अपीलान्ट के स्वअर्जित आवासीय मकानों को तुरन्त खाली कर अपीलान्ट को कब्जा सौंप दे तथा भविष्य में अपीलान्ट को तंग व परेशान नहीं करे।

अपीलान्ट ने बहस के दौराने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.09.2024 से व्यथित होकर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारों पर पेश है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर गौर न कर मनमर्जी से सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य का अवसर ही नहीं दिया। सीधे बहस सुनकर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश किसी भी प्रकार से स्पीकिंग ऑर्डर की तारीफ में नहीं आता है। आवेदकगण द्वारा पत्रावली में पेश किसी भी दस्तावेजात पर गौर नहीं किया तथा ना ही उनको पढ़ा गया है जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई भी दस्तावेजात पेश नहीं किए गये हैं तथा ना ही आवेदकगण द्वारा पेश दस्तावेजात का खण्डन ही किया गया है फिर भी अधीनस्थ अदालत ने विधि विरुद्ध तरीके से सरसरी तौर पर ही आवेदकगण का आवेदन पत्र खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदगण द्वारा पेश दस्तावेजात का किसी भी प्रकार से विवेचन नहीं किया है तथा ना ही अपने आदेश में उनका उल्लेख ही किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को प्रथम दृष्टया देखने मात्र से ही स्पष्ट होता है कि बिना पत्रावली का अवलोकन किए ही पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के मूलभूत व स्थापित प्रावधानों को अनदेखा कर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। कानून का स्थापित सिद्धान्त है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वअर्जित सम्पति का अपने जीवनकाल में स्वतन्त्र स्वामी होता है तथा अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

कर सकता है किसी भी अन्य व्यक्ति का उसमें दखलंदाजी करने का कोई भी विधिक अधिकार नहीं है। अदालत मातहत ने उक्त सुस्थापित कानूनी प्रावधान पर गौर न कर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने अपने दस्तावेजात से स्वअर्जित सम्पति का होना पूर्णतः साबित किया है तथा रेस्पोडेन्ट की ओर से भी इस तथ्य का कोई खण्डन नहीं किया गया है फिर भी अदालत मातहत ने बिना किसी विवेचना के अपीलान्ट के तथ्यों को अस्वीकार कर निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत ने प्रकरण को अपने क्षेत्राधिकार में नहीं होना व सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होना अंकित किया हैं महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्ट ने भी क्षेत्राधिकार की कोई आपत्ति नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में किसी भी कानूनी प्रावधान या किसी कानूनी नजीर का हवाला भी नहीं दिया है जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि स्वअर्जित सम्पत्ति से किसी अन्य व्यक्ति को 2007 के इस अधिनियम के द्वारा बेदखल किया जा सकता है तथा क्षेत्राधिकार बनता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक प्रावधानों की कोई भी विवेचना नहीं की तथा मनमर्जी से क्षेत्राधिकार से बाहर होना अंकित किया है। विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि ''तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है।'' अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझकर कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने ग्राम भौड़की में स्थित अपने पैत्रक आवास में अपने दोनों पुत्रों को उनका हिस्सा दे रखा है। रेस्पोडेन्ट का हक अधिकार पैतृक आवास तक ही सीमित है। रेस्पोडेन्ट कानूनन भी अपने पति के हिस्से में से ही हिस्सा लेने की हकदार है। रेस्पोडेन्ट का अपने पति से विवाद चल रहा है जिसके मुकदमें भी विचाराधीन है परन्तु उक्त प्रकरणों से अपीलान्ट का कोई भी सम्बन्ध नहीं है तथा उन मुकदमों की आड़ में अपीलान्ट को तंग व परेशान नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट सेवानिवृत कर्मचारी है तथा अपनी वृद्धावस्था में शान्ति पूर्वक अपना जीवन यापन करने का संवैधानिक अधिकार है जिसमें रेस्पोडेन्ट अनुचित रूप से व्यवधान उत्पन्न कर रही है। अदालत मातहत ने निर्णय से पूर्व न्यायिक विवेक का प्रयोग नही किया तथा प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध जाकर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने अपने पैतृक आवास ग्राम भौड़की की सम्पति अपने पुत्रों को दे दी है तथा स्वअर्जित सम्पति पर रेस्पोडेन्ट ने जबरन कब्जा कर रखा है। अपीलान्ट का जीवन जीना भी दूभर हो गया है परन्तु योग्य अदालत मातहत ने उक्त तथ्य पर गौर न कर भारी भूल की है। रेस्पोडेन्ट ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि उसे सिविल न्यायालय के आदेश की पालना में रहवास व भरण पोषण की राशि 15,000/—रुपये प्रतिमाह प्राप्त हो रही है फिर भी अदालत मातहत ने उक्त तथ्य पर गौर किये बगैर ही विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत का निर्णय विधि विरुद्ध है तथा किसी भी प्रकार से स्पीकिंग ऑर्डर की तारीफ में नहीं आता है। अदालत मातहत ने बिना पत्रावली का अवलोकन किये भावनात्मक तथ्यो के आधार पर निर्णय पारित किया है। कानून भावनाओं से नहीं बल्कि प्रावधानों व नियमों से संचालित होता है। अदालत मातहत ने कूननी प्रावधानों को अनदेखा कर जो निर्णय पारित किया है व खारिज होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.09.2024 को खारिज फरमाया जावे तथा रेस्पोडेन्ट को आदेशित किया जावे कि वह अपीलान्ट के स्वअर्जित आवासीय मकानों को तुरन्त खाली कर अपीलान्ट को कब्जा सौंप दे तथा भविष्य में अपीलान्ट को तंग व परेशान नहीं करे।

रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौराने जबाब पेश कर अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वह वर्ष 2010 से ही ग्राम टोडी स्थित मकान मे रह रही है। अपीलान्ट्स के पुत्र जो कि मेरे पति है ने दूसरी शादी कर ली है। माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी ने भी प्रकरण सं0 50/2021 उनवानी सुदेश बनाम मनोज वगैरह मे पारित आदेश दिनांक 30.08.2025 मे आदेश दिया है कि मुझ रेस्पोडेन्ट को ग्राम टोडी स्थित आवास से ताफैसला जबरन बेदखल नही किया जावे तथा बिजली पानी का कनेक्शन विच्छेद नही किया जावे। रेस्पोडेन्ट न्यायालय आदेशों की पालना मे ही ग्राम टोडी स्थित मकानों मे आवास कर रही है। अपीलान्ट्स की यह अपील गलत तथ्यों पर आधारित है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारीज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तत तर्को पर मनन किया। प्रकरण बहस व रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब से साफ जाहिर है कि रेस्पोडेन्ट माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी के प्रकरण सं0 50/2021 उनवानी सुदेश बनाम मनोज वगैरह मे पारित आदेश दिनांक 30.08.2025 की पालना मे ही ग्राम टोडी स्थित मकानों मे आवास कर रही है एवं माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी के आदेश है कि रेस्पोडेन्ट को ग्राम टोडी स्थित आवास से ताफैसला जबरन बेदखल नही किया जावे तथा बिजली पानी का कनेक्शन विच्छेद नही किया जावे। हम माननीय न्यायालय न्यायिक मज्रिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी के आदेश दिनांक 30.08.2025 मे हस्तक्षेप नही कर सकते है। अपीलान्ट्स की यह अपील सारहीन है। अतः अपीलान्ट्स की यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है। रिकार्ड मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं